न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 03/2017

अपीलांट्स

वीरसिंह पुत्र जालमसिंह जाति राजपूत निवासी सरली तहसील बाड़मेर

बनाम्

रेस्पोडेंट्स

1.उम्मेदसिंह पुत्र छतरसिंह के कायम मुकाम–
1/1.शेरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह
1/2.मूलसिंह पुत्र उम्मेदसिंह
1/3.जयसिंह पुत्र उम्मेदसिंह
1/4.उदयकंवर पत्नी उम्मेदसिंह
2.भीखसिंह पुत्र गेमरसिंह
3.मुंगकंवर पत्नि गेमरसिह
4.रतनसिंह पुत्र. भूपसिंह
5.अणदकंवर पत्नि राजसिंह
6.थानसिंह पुत्र जबरसिंह
7.महेन्द्रसिंह पुत्र जबरसिंह
8.बहादुरसिंह पुत्र जबरसिंह
9.छोटुसिंह पुत्र जबरसिंह
10.जीजाकंवर पत्नि जबरसिंह
11.भगसिंह पुत्र किरतसिंह
12.पन्नेसिंह पुत्र राणसिंह
13.राजपालसिंह पुत्र राणसिंह
14.दरियाकंवर बेवा राणसिंह
15.रेंवतसिंह गोद पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासरी सरली तहसील बाड़मेर
16 शाखा प्रबन्धक स्टेट बैक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर ब्रांचव कुड़ला तहसील बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 04.08.2016 द्वारा तहसीलदार,बाड़मेर

उपस्थितः–1.श्री महेन्द्र जोशी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2.श्री रमेश सोलंकी अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं.01 से 03 की ओर से।
3.श्री पदमसिंह पड़िहार अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 4 से 10 की ओर से
4.रेस्पोडेंट संख्या 11 से 16 अनुपस्थित

निर्णय दिनांक 16.05.2018

1. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 से 15 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 1214/1034 रकबा 274 बीघा 09 विस्वा, खसरा नम्बर 1152/1037 रकबा 202 बीघा 14 विस्वा,खसरा नम्बर 1154/1037 रकबा 17

जिला कलक्टर
बाड़मेर

बीघा 10 विस्वा, खसरा नम्बर 1156/1037 रकबा 4 बीघा 11 विस्वा मौजा गेम्बरपुरा तहसील, बाड़मेर में आये हुए है। पक्षकारान खातेदारान आपसी सहमति से मौके पर अपने–अपने हिस्से के अनुसार विभाजन कर काश्त करते आ रहे है तथा अपने–अपने हिस्सों में आवासीय ढाणीये बनी हुई है। अपीलांट एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 से 15 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार बाडमेर के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया। जिस पर तहसीलदार बाडमेर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.08.2016 द्वारा पक्षकारान की आपसी सहमति का प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर दिया। इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर मयाद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र भी पेश किया गया।

2. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंट्स को सम्मन किये एंव अपीलाधीन पत्रावली तलब की।
3. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 के अधिवक्ता ने लिखित बहस भी पेश की। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस मानते हुए आदेश दिनांक 04.08.2016 निरस्त करने का निवेदन किया।,
4. रेस्पोडेंट संख्या 01 से 10 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलांट एंव उतरदातागण द्वारा अपने खातेदारी खेत मौजा गेम्बरपुरा के खसरान की भूमि में सभी खातेदारों ने आपसी सहमति से तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष उपस्थित होकर आपसी सहमति से बंटवाड़ा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा बंटवाड़ा नक्शा मौके पर जाकर सभी खातेदारान की सहमति से बनाकर हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान कर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष बंटवाड़ा प्रस्तुत किया। तहसीलदार बाड़मेर ने समस्त काश्तकारों की सहमति एंव उनकी उपस्थिति में बाद जॉच मौके एंव कब्जे अनुसार सही रूप से विभाजन विलेख को स्वीकृत करने का आदेश पारित किया है।उन्होने तर्क दिया कि जहॉ राजीनामा एंव पक्षकारान की सहमति से भूमि का विभाजन करवाया जाता है, वह आदेश अपील योग्य नहीं है। मियाद के सम्बन्ध में इनका तर्क है कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश का ज्ञान दिनांक 01.08.2016 को ही था और उसी तारीख को ही अपील करने की परिसीमा शुरू हो जाती है। अपीलांट की अपील परिसीमा से बाहर है। इसलिये अपीलांट की अपील गलत तथ्यों पर आधारित होने एंव परिसीमा से बाहर होने से निरस्त की जाए।
5. हमने दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, पचपदरा द्वारा विभाजन आदेश दिनांक 04.08.2016 को स्वीकृत करने के विरूद्ध पेश की है।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

मौजा गेम्बरपुरा के खसरा नम्बर 1214/1034 रकबा 274 बीघा 09 विस्वा, खसरा नम्बर 1152/1037 रकबा 202 बीघा 14 विस्वा,खसरा नम्बर 1154/1037 रकबा 17 बीघा 10 विस्वा, खसरा नम्बर 1156/1037 रकबा 4 बीघा 11 विस्वा मौजा भूमि अपीलांट व रेस्पोडेंट्स की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। अपीलांट् एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 व 15 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया। उक्त सहमति से विभाजन के बंटवाड़ा को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद बना हुआ है और मौके पर बंटवाड़ा अनुसार कब्जा न होकर भिन्न प्रकार से कब्जा है अर्थात् विभाजन आदेश पक्षकारान के मौके की वास्तविक स्थिति एंव कब्जे काश्त के अनुसार नहीं है। अपीलांट द्वारा अपील में अंकित तथ्यो को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह से पक्षकारान का मौके पर कब्जा काश्त है,उसी बंटवाडा नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बाड़मेर ने विभाजन विलेख स्वीकृत करने से पूर्व मौके की स्थिति की सही जॉच नहीं की, जिसके अभाव में अपीलाधीन आदेश को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट ने अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र पेश किया है जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किये जाने योग्य है जो स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद सुमार की जाती है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.08.2016 को अपास्त किया जाता है, और मामला तहसीलदार, बाड़मेर को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान के मौके की स्थिति एंव वास्तविक कब्जे काश्त अनुसार पुनः विधिवत आदेश पारित करें।

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 16.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर